18–01–2023 वाद के एकमात्र अभियुक्त मोहन कुमार सिंह की हाजरी है। उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त मोहन कुमार सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दिनांक 23–03–2022 को धारा 227 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 31–03–2022 को दाखिल प्रतिउत्तर पर उभयपक्षों को सुना जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं तथा इसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि इस वाद में दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज कराये गये महिला थाना कांड सं0–43/2018 से बचने के उद्देश यह झूठा एवं बेबुनियाद वाद लाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार घटनातिथि दिनांक 13–09–2018 को 01:30 बजे की बतायी गयी है तथा उस समय कथित पीड़िता अपने घर में होने की बात कही गयी है, जबकि आर0 टी0 आई0 से प्राप्त सूचना के अनुसार पीड़िता घटना के दिन स्कुल में 09:30 बजे से 04:00 बजे तक थी। अभिलेख में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन को मोकदमा साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है। आवेदक की इस वाद में कोई संलिप्तता नहीं है, फिर भी अनुसंधानकर्ता द्वारा इनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा सूचक के एकपक्षीय सुनवाई के उपरान्त अभिलेख एवं केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों का बिना परिशीलन किये अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ निर्भय कुमार एवं कुणाल कुमार के साथ आवेदक मोहन कुमार सिंह के विरूद्ध भी दिनांक 17–10–2019 को भा0 दं0 वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 506/34 एवं 3(I) (r) (s) w (ii) SC/ST Act & 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। आवेदक के विरूद्ध केस डायरी में कोई तथ्य नहीं है, जिससे इनके विरूद्ध आरोप गठन किया जाय। इसलिए उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए, आवेदक को उन्मोचित किया जाय।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त मोहन कुमार सिंह की ओर से दिनांक 23–03–2022 को धारा 227 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है तथा खारिज योग्य है। इस न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 17–10–2019 को भा0 दं0 वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 506/34 एवं 3(I) (r) (s) w (ii) SC/ST Act & 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया जा चुका है। वाद दैनिकी में सभी साक्षियों ने कथित घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा आवेदक की इस वाद में स्पष्ट संलिप्तता प्रतीत होती है। इसलिए आवेदक की ओर से दं0 प्र0 सं0 की धारा 227 के अंतर्गत दाखिल उक्त आवेदन को खारिज किया जाय।

——— लगातार ————

लगातार
18–01–23

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। पीड़िता के लिखित आवेदन पर आवेदक सहित एक अन्य दो अभियुक्त के विरूद्ध मेहुस थाना कांड सं0–29/18 दर्ज किया गया है। अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता ने इस वाद में आवेदक सहित तीन सह–अभियुक्त के विरूद्ध घटना में इनकी संलिप्तता पाते हुए दिनांक 16–07–2019 को धारा 341, 323, 354, 504, 506/34 एवं 3(I) (r) (s) w (ii) SC/ST Act & 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया है तथा न्यायालय द्वारा अभिलेख एवं केस डायरी में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदक एवं दो अन्य सह– अभियुक्तों के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 506/34 एवं 3(I) (r) (s) w (ii) SC/ST Act & 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। केस डायरी के अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि पीड़िता एवं अन्य साक्षियों ने वाद का समर्थन किया है तथा उपरोक्त आवेदक की घटना में संलिप्तता प्रतीत होती है। आवेदक का यह कथन कि घटनातिथि दिनांक 13–09–2018 को 01:30 बजे की है तथा उस समय कथित पीड़िता अपने घर में होने की बात कही गयी है, जबकि आर0 टी0 आई0 से प्राप्त सूचना के अनुसार पीड़िता घटना के दिन स्कुल में 09:30 बजे से 04:00 बजे तक थी। बचाव पक्ष का उक्त आधार इस कांड में आरोप गठन के पूर्व विचारणीय नहीं है तथा इस समय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह पाया जाता है कि इस वाद के एकमात्र अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ मोहन कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त आधार मौजूद है। अतः उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दिनांक 23–03–2022 को धारा 277 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन (Discharge) के आवेदन को खारिज किया जाता है। साथ ही आवेदक/अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि आरोप गठन हेतु न्यायालय में उपस्थित रहें।

वाद दिनांक को 23–01–2023 वास्ते आरोप गठन।

लेखापित
ह0/–
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश